Sanjay Kumar, IAS
Secretary, Health
-cum-
Executive Director

गौरवपूर्ण 100 वर्ष

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य
-सह-
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या :– SHSB/Gen.Admin/06/05/Part

आदेश संख्या :– पटना, दिनांक :–..................

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से 75 KVA का Silent Generator अधिष्ठापन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया तथा निविदा आमंत्रित की गई। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 15.07.2011 तक तीन निविदादाताओं के द्वारा निविदा डाली गई। तकनीकी समिति के द्वारा प्राप्त निविदाओं की जॉच की गई, जिसमें दो निविदा को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया गया।

दिनांक 22.07.2011 को जेनरेटर अधिष्ठापन हेतु तकनीकी रूप से सफल दोनों निविदादाताओं का वित्तीय निविदा समिति के द्वारा खोला गया, जिसमें बिहार जन सेवा मंच, बी–18, सचिवालय कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–20 का दर न्यूनतम 42,901/– रूपये प्रति माह पाते हुये उन्हें कार्यादेश निर्गत किया गया। चयन के पश्चात L1 एजेंसी बिहार जन सेवा मंच को राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या SHSB/GA/06/05- 28623, दिनांक 27.07.2011 के द्वारा कार्यादेश निर्गत करते हुये इन्हें दिनांक 01.08. 2011 के प्रभाव से राज्य स्वास्थ्य समिति में 75 KVA का नया जेनरेटर अधिष्ठापित करते हुये विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्यादेश निर्गत किया गया तथा बैंक गारंटी के रूप में एक लाख रूपया जमा करने का निदेश दिया गया। एजेंसी के द्वारा निविदा में उल्लेखित शर्तों की अवहेलना करते हुये पुराना जेनरेटर सेट उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण बार–बार विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती थी। निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने तथा राज्य स्वास्थ्य समिति में संतोषप्रद सेवा उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में एजेंसी मेसर्स बिहार जन सेवा मंच, बी–18, सचिवालय कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–20 को राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 28989, दिनांक 05 अगस्त, 2011 के द्वारा 48 घंटे के अंदर गुणवत्तापूर्ण सेवा देने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात भी एजेंसी के कार्यकलाप में सुधार नहीं हुआ तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सेवा एजेंसी के द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

दिनांक 10.08.2011 को एजेंसी मेसर्स बिहार जन सेवा मंच के द्वारा बैंक गारंटी जमा करने की सूचना दी गई। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जब इस बैंक गारंटी को सत्यापन हेतु बैंक में भेजा गया तो Personal Banking Branch, State Bank of India, श्रीकृष्णापुरी शाखा के द्वारा यह सूचित किया गया कि यह बैंक गारंटी फर्जी है तथा इस पर किया गया हस्ताक्षर बैंक के किसी पदाधिकारी का नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के पत्र संख्या BR/GEN/458/11-12, दिनांक 12.10.2011 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में एजेंसी मेसर्स बिहार जन सेवा मंच के विरूद्ध शास्त्रीनगर पुलिस थाना में भा०द०वि० की धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका प्राथमिकी संख्या–397/11 है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के व्यापक समीक्षोपरांत एवं सम्यक् विचारोपरांत मेसर्स बिहार जन सेवा मंच, बी–18, सचिवालय कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–20 को निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने, नया Genset के स्थान पर पुराना Genset अधिष्ठापित करने तथा फर्जी बैंक गारंटी समर्पित करने के आरोप में एजेंसी के नाम निर्गत कार्यादेश को रद्द कर दिया गया तथा उक्त के आलोक में एजेंसी को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाते हुये इन्हें काली सूची में दर्ज किया जाता है।

(ii)

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आशय की सूचना सभी संबंधित को अविलम्ब देते हुये सभी विभागीय प्रधान सचिव, सचिव एवं जिला पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाय तथा सर्वसाधारण के सूचना हेतु इस आदेश को राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी अपलोड कर दिया जाय ।

ह0 / –
(संजय कुमार)

ज्ञापांक 4802 पटना, दिनांक : 15.10.12

प्रतिलिपि :–

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को सादर सूचनार्थ समर्पित ।
- सभी प्रधान सचिव / सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- प्रशासी पदाधिकारी / अपर निदेशक / उपसमाहर्ता / उप निदेशक / वित्त एवं लेखा प्रबंधक / राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- एजेंसी मेसर्स बिहार जन सेवा मंच, बी–18, सचिवालय कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–20 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

15/10/2012

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक